न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0–1,लखनऊ ।

<u>सत्र परीक्षण सं0.985/2018</u>

सरकार.....बनाम.....गुलरेज अहमद

मु0अ0सं0: 109/2016
धाराः 342,366,376 भा0दं0सं0
व धारा 66 आई0टी एक्ट
थानाः महानगर,लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, अविनाश सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0–1,लखनऊ एतद्द्वारा आप **गुलरेज अहमद** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅः–

प्रथम,यह कि दिनांक 03.01.2016 को किसी समय वादिनी मुकदमा शिप्रा पांडेय को स्थान चंदौसी चौराहे के पास स्थित संभल मे असलहे के बल पर जबरन गाड़ी मे बैठाकर उसका सदोष परिरोध किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा **342** के अधीन दंडनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

द्वितीय,यह कि उपरोक्त दिनांक,स्थान एवं समय पर आप वादिनी मुकदमा शिप्रा पांडेय को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध गाड़ी मे बैठाकर विवाह करने/बलात्संग करने के उद्देश्य से उसे नशीला पदार्थ पिलाकर अपहृत करके ले गये और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा **366** के अधीन दंडनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

तृतीय,यह कि उपरोक्त दिनांक,स्थान एवं समय पर आप वादिनी मुकदमा शिप्रा पांडेय को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध गाड़ी मे बैठाकर ले गये और उसके साथ भिन्न–भिन्न स्थानो एवं तिथियो पर बलात्कार कारित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की धारा **376** के अधीन दंडनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

चतुर्थ,यह कि उपरोक्त दिनांक,स्थान एवं समय पर आप वादिनी मुकदमा शिप्रा पांडेय को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध गाड़ी मे बैठाकर विवाह करने/बलात्संग करने के उद्देश्य से उसे अपहृत करके ले गये और उसके साथ बलात्कार कर उसकी अश्लील तस्वीरो की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसका चरित्र हनन किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि आई0टी एक्ट की धारा 66 के अधीन दंडनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा मैं आपको यह निर्देशित करता हूॅ कि आपका परीक्षण उपरोक्त अपराध हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(अविनाश सक्सेना),
विशेष न्यायाधीश,पी0सी0एक्ट प्रथम
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

दिनांकः02.01.2019

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होनें इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

(अविनाश सक्सेना),
विशेष न्यायाधीश,पी0सी0एक्ट प्रथम
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

दिनांकः02.01.2019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,पी0सी0एक्ट प्रथम/अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

सत्र परीक्षण सं0.985/2018

सरकार.....बनाम.....गुलरेज अहमद

मु0अ0सं0: 109/2016
धाराः 342,366,376 भा0दं0सं0
व धारा 66 आई0टी0 एक्ट
थानाः महानगर,लखनऊ।

02.01.2019

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227,339,245 दं0प्र0सं0. पर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नियत है।

2. अभियुक्त गुलरेज अहमद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227,339,245 दं0प्र0सं0 आरोपो से उन्मोचित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसपर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता,फौ0 के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

3. अभियुक्त की ओर से यह कथन अभिकथित किया गया कि वादिनी मुकदमा द्वारा झूठी एवं गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मु0अ0सं0 109/16 मे फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना दिनांक 03.01.16 को जनपद संभल के अन्तर्गत घटित हुई जिसके सम्बंध मे मु0अ0सं0 46/16 धारा 363,366 भादंसं0 पंजीकृत कराया गया है और द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी द्वारा थाना महानगर मे पंजीकृत कराया गया किन्तु विवेचक द्वारा कथित घटनास्थल पर पहुॅचकर कोई भी विवेचना कर साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयत्न नही किया गया। थाना महानगर मे अंकित करायी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मात्र धारा 66 आई0टी0एक्ट का अपराध प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित हो रहा है। वादिनी के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा धारा 342,366,376 भादंसं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। जनपद संभल मे मु0अ0सं0 46/16 धारा 363,366 भा0दं0सं0 के मामले मे विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत अन्तिम आख्या प्रेषित किया गया है। वादिनी द्वारा अपना धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान दबाव मे दिया है। पीड़िता का कोई चिकित्सीय परीक्षण एवं इंजरी रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूण्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 342,366,376 भा0दं0सं0 का कोई अपराध नही बनता है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक फर्जी,बनावटी एवं मनगढ़ंत है। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त को लगाये गये आरोपो से उन्मोचित किए जाने का कथन किया गया।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता,फौ0 द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर अपनी घोर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.11.2017 को अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्तगण/आवेदक की ओर से दिये गये तर्क पूर्णतया तथ्यात्मक प्रकृति के है जिनके सम्बंध मे साक्ष्य के उपरांत ही विनिश्चय संभव है। विवेचक द्वारा अपनी विवेचना मे ऐसा कोई तथ्य इंगित नही किया गया जिसके आधर पर आवेदक–अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रथम दृष्ट्या ही निराधार पाया जाये तथा उसे लगाये गये आरोपो से उन्मोचित किया जा सके। संज्ञान के उपरांत आरोप पत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है और न ही संज्ञान सम्बंधी आदेश को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है। आरोप विरचन के पूर्व मात्र तथ्यात्मक तर्को के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना विधि सम्मत नही होगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227,339,245 दं0प्र0सं0 बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

7. मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्को को सुना तथा पत्रावली पर विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

धारा 342 भादंसं0 के आवश्यक पहलू– जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करेगा।

धारा 366 भादसं0 के आवश्यक पहलू– विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना,अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।

धारा 376 भादसं0 के आवश्यक पहलू– बलात्संग जो पुरुष अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ–एस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध,उस स्त्री की सम्मति के बिना,स स्त्री की सम्मति से,जबकि उसकी सम्मति,उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है,मृत्यु या उपहति के भय मे डालकर अभिप्राप्त की गयी है,उस स्त्री की सम्मति से,जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नही है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे ह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहिता होने का विश्वास करती है,उस स्त्री की सम्मति से,जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतिचित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रुप मे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ दिए जाने के कारण,उस बात की,जिसके बारे मे वह सम्मति देती है,प्रकृतिऔर परिणामो को समझने मे असमर्थ है एवं उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के,जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

8. सुना एवं पत्रावली पर विवेचक द्वारा संकलित किए गए साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

9. आरोप विरचन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अवधारित विधि व्यवस्था **उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पंधी,एआईआर 2005,एस0सी0 पेज 359** सम्बन्धी प्रकरण में यह सिद्वान्त प्रति पादित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय अभियुक्तगण के बचाव को महत्व नही दिया जायेगा। मामले का सूक्ष्य परीक्षण(MINI TRIAL)अनुमन्य नही है। तदनुरूप आरोप विरचित किया जाता है अथवा प्रसंज्ञान लिया जाता है। अभियुक्तगण को कोई साक्ष्य अथवा सामग्री प्रस्तुत करने का अधिकार नही है।

10. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बलविन्दर सिंह बनाम पलविन्दर सिंह व अन्य बनाम,2009,(1)जेआईसी,पेज 73,** सम्बन्धी प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है तथा आरोप गम्भीर सम्भावनाओं के आधार पर विरचित किया जा सकता है आरोप तय किये जाने के स्तर पर साक्ष्य की विवेचना किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नही है।

11. यही सिद्वान्त **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी, (2000) 6,एस.सी.सी.पेज 338, तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस0पी0जौहरी , (2000)2,एससीसी,पेज 57, एवं महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रिया शरण महाराज एवं अन्य,(1997)4,एससीसी पेज 393** सम्बन्धी प्रकरण में भी यही अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर साक्ष्य के विस्तृत निर्वचन की आवश्यकता नही होती है।

12. बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रि) नं0. 208/2004 लाला सिंह प्रति उ0प्र0राज्य व अन्य,माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत Lily Thomas Etc vs Union of India & others, 2015(3) सीसीएससी पेज 1427(एस.सी) तारामनी प्रकाश प्रति मध्यप्रदेश राज्य व अन्य मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2015(90)ए0सी0सी0 पेज 793 श्रीमती खुशनुमा व अन्य प्रति उ0प्र0राज्य व अन्य के मामले मे प्रतिपादित सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया गया। मै बचाव पक्ष की ओर से उदधृत निर्णयज विधियो का परिशीलन किया। मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो के आधार पर इस स्तर पर प्रस्तुत निर्णय विधियो मे प्रतिपादित सिद्धांत का कोई परिलाभ अभियुक्त को दिया जाना समीचीन प्रतीत नही होता है।

13. उपरोक्त निर्णयज विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। तथा विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य का परीक्षण किया। उक्त निर्णय विधियों एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अभियुक्त गुलरेज अहमद के विरूद्व धारा 342,366,376 भा0दं0सं0 एवं धारा 66 आई0टी0 एक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227,239,245 दं0प्र0सं0 निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **गुलरेज अहमद** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227,239,245 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है तथा अभियुक्त गुलरेज अहमद के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 342,239,245 भादंसं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व परीक्षण की मॉग व्यक्त की। अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक **08.01.2019** के लिये नियत हो। साक्षीगण नियत तिथि हेतु तलब हों।

विशेष न्यायाधीश पी0सी0एक्ट प्रथम,
अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।